14

पर्यावरण

14.1 पृष्टभूमि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक गतिकीय शहरी क्षेत्र है जिसमें 100 से अधिक शहरी केन्द्रों और रिज़, आर्द्र भूमियां, अभयारण्य इत्यादि जैसी पारिस्थितिक संवेदनशील प्राकृतिक विशेषताओं से संपन्न है जिसे एक तर्कसंगत भूमि उपयोग स्वरूप और संरक्षण के जिए योजनाबद्ध तरीक से शहरी विकास में पर्यावरणीय संपोषणीय संरचना प्राप्त करने की जरूरत है । भूमि की अधिकतम संभाव्य कीमत प्राप्त करने की दृष्टि से कृषीय भूमि को गैर-कृषीय भूमि में परिवर्तित करने तथा उसको अजैविक उपयोग में लाने की प्रवृति इतनी तीव्र है कि इसे प्राप्त करने के लिए बहुत संगत तथा निर्धारणात्मक बनाए जाने की आवश्यकता होगी । भविष्य के विकास की रूपावली को स्थापित करने में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । पर्यावरणीय चिन्ता को समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है और प्राकृतिक साथ ही साथ निर्मित वातावरण दोनों के सरोकार को संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है अपितु प्राकृतिक संकटों के विभिन्न रूप से सुरक्षित करना है ।

क्षेत्रीय योजना-2001 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण और परिस्थितिकी-विकास के लिए निम्नलिखित नीतियों और प्रस्तावों की परिकल्पना की गई थीः

- i) **वायु प्रदूषणः** प्रदुषण के प्रभावों को विभिन्न उचित बहिःक्षेत्रीय अनुसंधान अध्ययनों के द्वारा पहचान की जानी चाहिए ताकि भिन्न उप-क्षेत्रों में औद्योगिकरण का स्तर और प्रकार संस्थापित किया जा सके ।
- ii) जल प्रदूषणः घरेलू और औद्योगिक गंदे पानी को शोधित किए बिना जमीन अथवा जलाशयों में बहाए जाने की अनुमित नहीं होनी चाहिए जब तक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार गंदे पानी को शोधित किया जाए । जहां तक संभव हो, नए उद्योगों का विकास चिन्हित और वर्गीकृत ओद्यौगिक क्षेत्रों/इलाकों में होना चाहिए जहां गाद को प्राकृतिक क्षेत्रों में बहाए जाने से पूर्व उद्योग परिसर के अन्दर उपयुक्त गाद शोधन सुविधा द्वारा उचित शोध की व्यवस्था हो । आबादी के वे क्षेत्र जहां नियमित मल-जल व्यवस्था योजनाएं उपलब्ध नहीं है वहां व्यक्तिगत परिवार या समुदाय के लिए अस्थाई उपायों के रूप में कम लागत वाली सफाई प्रबंधन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए । खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए नियंत्रित पर्यावरणीय सुरक्षित जोन सृजित की जानी चाहिए ।
- iii) **टोस कचरा:** सभी शहरी और कृषीय क्षेत्रों में टोस कचरा प्रबंधन और इसके पुनःउपयोग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ।
- iv) समायोजन समितिः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जल, भूमि और वायु प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण के लिए एक समायोजन समिति गठित की जानी चाहिए ।
- v) वृक्षारोपण कार्यक्रमः सभी संबंधित अभिकरणों द्वारा ऊसर और अकृष्य भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।

उप-क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाएं बनाते और उन्हें कार्यान्वित करते समय स्थानीय योजना और योजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि क्षेत्र के प्रमुख परिवहन मार्गों के साथ-साथ अनियोजित और अनियंत्रित गलियारे विकास के फैलाव को रोका जा सके ।

14

ENVIRONMENT

14.1 BACKGROUND

NCR, a dynamic urban region with more than 100 urban centres and endowed with ecologically sensitive natural features such as ridge, wetlands, sanctuaries etc. needs to be planned in a way to achieve an environmentally sustainable pattern of urban development through a rational land use pattern and conservation. The conversion of agricultural land into non-agricultural and abiotic uses in order to realise the land value potential is so severe that it would require a very consistent and deterministic policy to achieve this. The environment plays a crucial role in establishing the paradigm of future development. Environmental concerns need to be viewed holistically and concerns of both natural as well as built environment not only need to be conserved but also protected from various forms of natural hazards.

Regional Plan-2001 envisaged the following policies and proposals for the environment and ecodevelopment in NCR:

- i) *Air pollution:* The pollution impacts have to be identified through appropriate field research studies so that the levels and types of industrialisation can be established for different Sub-regions.
- ii) Water pollution: No untreated domestic and industrial waste should be permitted to be discharged over land or into water bodies before treating it to the specified discharge standards under Environmental Protection Act, 1986. As far as possible, new industries be developed in identified and classified industrial areas/estates which should have proper effluent treatment facilities in-situ before effluents are discharged into natural areas. The settlements where regular sewerage schemes are not available, low cost sanitation system for individual family or community may be adopted as a short-term measure. Controlled environmentally protected zones for hazardous and polluting industries should be created.
- iii) Solid waste: Scientific approach should be adopted for the solid waste management and its re-use in all urban and agricultural areas.
- iv) *Coordination Committee:* A Coordination Committee for prevention and control of pollution of water, land and air should be established for NCR.
- v) Afforestation Programmes: It should be undertaken on all barren and uncultivable land by the concerned agencies.

Care should be taken by the local planning and plan implementing authorities at the time of preparing and implementing the development plans of the urban areas in their Sub-regions to contain the unplanned and uncontrolled spread of corridor developments all along the major transport arteries of the region.

क्षेत्रीय योजना-2001 की समीक्षा में यह सुझाव दिया गया कि क्षेत्र में पर्यावरणीय के निम्नीकरण को रोका जाए, अपशिष्ट जल को शोधित और रिसाइक्लिड किया जाए, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की जाए, उद्योग के लिए योजना बनाते समय पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रदूषण नियंत्रण मानकों को लागू किया जाए । यह भी निर्दिष्ट किया है कि अच्छी कृषीय भूमि का शहरीकरण और अनिधकृत गलियारा विकास से सुरक्षित किया जाए ।

14.2 नीतियां और प्रस्ताव

भूमि सबसे महत्वपूर्ण और संकटापन्न पर्यावरण संसाधन है । प्रत्येक भूमि उपयोग/गतिविधि अर्थात् आवास, परिवहन, उद्योग, मनोरंजन, संरक्षण इत्यादि अथवा उनके अनुबंधन का पर्यावरण अर्थात् वायु, जल, भूमि आदि पर प्रभाव पड़ता है और क्षेत्र में पर्यावरण की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित नीतियां और कार्यनीतियां प्रस्तावित की गई हैं:

- i) क्षेत्र की अच्छी कृषीय भूमि को सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए । दिल्ली को छोड़कर अन्य वर्तमान शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त अधिशेष क्षमता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आबादी सामंजस्य की जा सकती है । यह अच्छी कृषि भूमि का शहरी उपयोगों में अनावश्यक परिवर्तन की जरूरत को कम करेगा ।
- वोनों सतही और भूमिगत जल स्रोतों को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए भूमि उपयोग आबंटन बहुत सावधानीपूर्वक
 किया जाना चाहिए ।
- iii) क्षेत्र के नगरों की महा/विकास योजना बनाते समय भूमि उपयोग आबंटन के लिए भूमि उपयुक्तता विश्लेषण को सिम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि बस्ती, कृषि, वन खण्ड़, उद्योग और मनोरंजनात्मक उपयोगों के लिए उपयुक्त अंतर्भूतीय क्षेत्र की पहचान हो सके । क्षेत्र में और वृद्धि को उन क्षेत्रों की ओर मोड़ देना चाहिए, जो कि केवल बस्ती वृद्धि के लिए उपयुक्त हैं ।
- iv) वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता (सतही और भूमिगत जल), ध्विन प्रदूषण और भूमि प्रदूषण पर आकड़ें बहुत घटिया हैं और क्षेत्र में इन्हें सृजित किए जाने की ज़रूरत है । इस क्षेत्र में केवल तीन वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं। बेहतर आंकड़ों को तैयार करने के लिए, और वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की आवश्यकता है । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-क्षेत्रों में एक सिमति गठित की जानी चाहिए जोकि वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी वाले स्टेशनों को बनाने के स्थानों की सिफारिश करें, नियमित आधार पर अवस्था की समीक्षा तथा सुधारीय उपायों की सिफारिश करें । संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित रूप से ऊपर-कथित घटकों की निगरानी करनी चाहिए । यह आकड़े जनता की जागरूकता के लिए आसानी से उपलब्ध होने चाहिए ।
- v) क्षेत्र की विकास गतिविधियों का पालन करते समय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और इसकी नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए । न्यूनतम राष्ट्रीय मानदण्ड पर आधारित क्षेत्र की वहनीय क्षमता का ध्यान रखना चाहिए तािक क्षेत्र के लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके । निम्नलिखित घटकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
 - न्यूनतम राष्ट्रीय मानदण्ड
 - क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता
 - जलाशयों और पर्यावरण की वहनीय क्षमता
 - पर्यावरण का वर्तमान स्तर
 - क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकता
- vi) नियंत्रित पर्यावरण और संयुक्त गाद शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) के साथ वहनीय क्षमता संकल्पना को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उद्यान/इलाके बनाए जाने चाहिए । क्षेत्र में खतरनाक कचरा पैदा करने वाले उद्योगों को भूमि आबंटन उचित ढंग से किया जाना चाहिए जिसमें संयुक्त शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (टी.एस.डी.एफ.) उपलब्ध हो । इसी प्रकार, ग्रीन हाऊस गैसों के स्तरों को कम करने के लिए राज्य सरकारों को विद्युत की बढती मांग

Review of Regional Plan-2001 suggested that environmental degradation in the region should be arrested, waste water should be treated and recycled, eco-sensitive areas should be protected, environmental considerations should be integrated while planning for industries and pollution control norms of MOE&F should be enforced. It also pointed out that good agricultural land should be protected from urbanisation and unauthorised corridor development.

14.2 POLICIES AND PROPOSALS

Land is the most crucial and critical environment resource. Every land use/activity i.e., housing, transportation, industry, recreation, conservation etc. or their linkages have got environmental impact on air, water, soil etc. and in order to improve the environmental condition in the region following policies and strategies are proposed:

- i) Good agricultural land in the region should be protected and conserved. There is substantial surplus capacity in the existing urban areas other than Delhi to accommodate greater number of population. This may reduce the need for unnecessary conversion of good agriculture land to urban uses.
- ii) The land use allocation has to be carefully carried out in order to protect and conserve both surface and ground water resources.
- iii) Master/Development Plans for the towns in the region should incorporate land suitability analysis for land use allocations, which would identify areas intrinsically suitable for settlement, agriculture, forestry, industry and recreational uses. Further growth in the region should be channelised in the areas, which are only suitable for settlement growth.
- iv) The database for air quality, water quality (surface and ground water), noise pollution and land pollution is very poor and need to be created for the region. There are only three air quality monitoring stations in the region. In order to create better database, more air quality monitoring stations are required. A Committee should be setup in each of the Sub-regions of NCR by the respective State Governments to recommend locations of the monitoring station of air and water quality, to regularly review the status and recommend remedial measures. Pollution Control Boards of respective States should monitor the above-cited parameters on a regular basis. The data should be easily accessible to public for awareness.
- v) While carrying out activities for the development of the region, provisions under Environmental Protection Act, 1986 and Rules thereof should be followed. Carrying Capacity of the region based on Minimum National Standards should be followed in order to provide a better quality of life to the people in the region. Following factors should be considered:
 - Minimal national standards
 - The environmental sensitivity of the region
 - The carrying capacity of the receiving water bodies and environment
 - The existing quality of environment
 - The health requirements in the area
- vi) Industrial parks/estates with controlled environment and with Combined Effluent Treatment Plant (CETP) should be constructed considering the carrying capacity concept. For the hazardous waste producing industries in the region, land allocation should be done appropriately for Combined Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF). Similarly, State Governments should

- को पूरा करने के लिए कुशल और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित/अपनाया जाना चाहिए ।
- vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न भागों में उनका प्रदर्शन जांचने के संबंध में आंकड़ों को बनाने और नियमित निगरानी की जरूरत है । इस कार्य को निर्वाह करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में एक कक्ष सृजित किया जाना चाहिए ।
- viii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित क्षेत्रों/जोनों को संरक्षित/स्रक्षित किया जाना चाहिए:
 - आरक्षित/सुरक्षित वन
 - आरक्षित और स्रक्षित वनों के अलावा अन्य वन
 - रमारक-राष्ट्रीय, राज्यीय, रथानीय
 - धरोहर/सांस्कृति स्थल
 - दृश्यनीय क्षेत्र
 - राष्ट्रीय उद्यान
 - अभयारण्य
 - लुप्तजाति-जीव जन्तु और वनस्पति वाले क्षेत्र
 - बायोस्फीयर रिजर्व
 - आर्द्र भूमि
 - रिसार्टस/पर्यटन सैरगाह रूचि वाले क्षेत्र
 - जलाशयों
 - सोते/जल प्रतिपूर्ति क्षेत्र
 - अन्य पर्यावरणीय संसाधन क्षेत्र
- ix) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा 3(2)(ड़) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के अंतर्गत अरावली श्रंखला के विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां जिनके कारण क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, को प्रतिबंधित करते हैं और निम्नलिखित प्रक्रम व संचालन पर वर्जित करते हैं:
 - क) विस्तार/आधुनिकीकरण सहित किसी नये उद्योग को लगाना ।
 - ख) (1) लीज पर खनन का नविनीकरण सहित सभी नये खनन का प्रचालन ।
 - (2) बाघ परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रों और अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में खनन के लिए वर्तमान लीज़ें और/अथवा
 - (3) सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बिना खनन कार्य करना ।
 - ग) वृक्षों की कटाई ।
 - घ) किसी भी निवास इकाई के समूह, फार्म हाउस, शेड, सामुदायिक केन्द्रों, सूचना केन्द्रों का निर्माण और ऐसे निर्माण से संबंधित कोई भी अन्य गतिविधि (इससे संबंधित सड़क और अवसंरचना को कोई भी भाग)
 - ड़) विद्युतीकरण (नयी प्रसारण लाइन बिछाना)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अरावली श्रृंखला में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं ली जानी चाहिए ।

- encourage/adopt efficient and clean technology based power plants to meet the growing power demand for reduction in greenhouse gases (GHG) levels.
- vii) Data inputs to check the performance of various parts of NCR in relation to these needs be made and regularly monitored. A Cell in NCRPB be created to perform this task.
- viii) The areas/zones mentioned below located in NCR should be conserved/protected:
 - Reserved/protected forests
 - Forests other than reserved and protected forests
 - Monuments-National, State, Local
 - Heritage/cultural sites
 - Scenic areas
 - National parks
 - Sanctuaries
 - Areas with endangered species-flora and fauna
 - Biosphere reserves
 - Wetlands
 - Resorts/areas of tourist interest
 - Water bodies
 - Springs/water recharge areas
 - Other environmental resource areas
- ix) The Ministry of Environment and Forests under Section 3(1) and 3(2) (v) of the Environment Protection Act, 1986 and Rule 5(3)(d) of the Environment (Protection) Rules, 1986 restricts certain activities in specified area of Aravalli Range which are causing environmental degradation in the region and prohibits following process and operations:
 - a) Location of any new industry including expansion/modernisation;
 - b) (1) All new mining operations including renewals of mining leases.
 - (2) Existing mining leases in sanctuaries/national parks and areas covered under Project Tiger; and/or
 - (3) Mining is being done without permission of the competent Authority.
 - c) Cutting of trees.
 - d) Construction of any clusters of dwelling units, farms houses, sheds, community centres, information centres and any other activity connected with such construction (including roads and part of any infrastructure relating thereto)
 - e) Electrification (laying of new transmission lines)

No such activities should be undertaken in the Aravalli range in NCR.

कुछ एक क्षेत्रों में कुछ प्रक्रमण और संचालन पर बिना आज्ञा के कार्यान्वित करना वर्जित है। इसमें शामिल हैं:

- सभी आरक्षित वन, सुरक्षित वन अथवा अन्य कोई क्षेत्र जिसे अधिसूचना की तारीख से हिरयाणा राज्य के गुड़गांव जिला और राजस्थान राज्य के अलवर जिला के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अभिलेखों में 'वन' दिखाया गया है ।
- (ii) निम्न दिखाये सभी क्षेत्रः
 - (क) गैर मुमकिन पहाड़, अथवा
 - (ख) गैर मुमकिन राड़ा, अथवा
 - (ग) गैर मुमकिन बछेड़, अथवा
 - (ध) बंजर बीड, अथवा
 - (ड़) रुन्ध ।

हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिला और राजस्थान राज्य के अलवर जिला के संबंध में इस अधिसूचना के दिन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अभिलेखों के अनुसार है ।

- (iii) पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत अधिसूचना में सिम्मिलित किए गए सभी क्षेत्र, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले पर भी लागू हैं।
- (iv) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 की 53) के अन्तर्गत अधिसूचित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का अभयारण्य के सभी क्षेत्र हैं ।

In some areas carrying out of certain processes and operations without permission is prohibited. These include:

- (i) All reserved forests, protected forests or any other area shown as "forest in the land records maintained by the State Government as on the date of this notification in relation to Gurgaon district of the State of Haryana and the Alwar district of the State of Rajasthan.
- (ii) All areas shown as:
 - (a) Gair Mumkin Pahar, or
 - (b) Gair Mumkin Rada, or
 - (c) Gair Mumkin Bched, or
 - (d) Banjad Beed, or
 - (e) Rundh.

In the land records maintained by the State Government as on on the date of this notification in relation to Gurgaon district of the State of Haryana and the Alwar district of the State of Rajasthan.

- (iii) All areas covered by the notification issued under Section 4 and 5 of the Punjab Land Preservation Act, 1900, as applicable to the State of Haryana in the district of Gurgaon up to the data of this notification.
- (iv) All areas of Sariska National Park and Sariska Sanctuary notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).